न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 55/2019

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
नरपतसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर		तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.11.2019 जो प्रकरण सं. 137/2019 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26/02/2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 137/2019 सरकार बनाम नरपतसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का कुड़ला द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुड़ला के खसरा नम्बर 625/395 रकबा 42–07 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर सरकारी भूमि मे से 09–00 बीघा भूमि पर गैर सायल नरपतसिंह पुत्र चतरसिंह कौम राजपूत निवासी कुड़ला हाल गोपाल गौशाला के पास, गेंहू रोड़ बाड़मेर द्वारा गवार की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल द्वारा दौरान सुनवाई उपस्थित होकर भी कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को सुनवाई उपरांत मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 18.11.2019 के द्वारा 27/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर बोई हुई फसल कुर्क नीलाम करने एवं अपीलांट को भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 04.12.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन–फानन मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका पर पैमाईश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि मौजा बाड़मेर आगोर एवं मुतनाजा भूमि ग्राम कुड़ला की सरहद में ओवरलेपिंग का पूर्ण नाप सभी बिन्दुओं से करवाने के पश्चात वास्तविक स्थिति ज्ञात करने का निवेदन किया गया। इस प्रकार जहां दो गांवों की सरहद में अवस्थित भूमि का ओवरलेप पाया जाता हैं वहां कमेटी का गठन कर पैमाईश की जाना न्यायहित में आवश्यक हैं किन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का निर्णय किये बिना ही मात्र कागजी खानापूर्ति करने के उद्देश्य से बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत न होने से अपास्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। हल्का पटवारी ने राजनैतिक दबाव मे आकर अपीलांट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं कि अपीलांट ने गे0मु0 गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हैं। अपीलांट पीढ़ियों से अपने पैतृक खातेदारी के खेत पर काबिज होकर काश्त कर रहा है इस तथ्य पर गौर किये बिना एवं जांच किये बिना राजनैतिक दबाव मे आकर अपीलांट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने के आशय से उक्त अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम कुड़ला के खसरा नम्बर 625/395 रकबा 42–07 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर सरकारी भूमि मे से 09–00 बीघा भूमि पर गवार की फसल बोई जाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट उपस्थित हुआ किंतु कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, न ही इस अपील मे भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने गोचर भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा प्रकट किया हैं कि उसके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया हैं बल्कि दो गांवों की सरहद पर भूमि के ओवरलेप के कारण गलत फहमी में प्रकरण दर्ज हुआ हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया है, तथा इस अपील के द्वारा कथन किया हैं कि उसके प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर स्वंय तहसीलदार मौके पर उपस्थित रहकर अपीलांट को दूरभाष पर सूचित किया गया एवं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर बेदखली की कार्यवाही की गई हैं। अपीलांट ने केवल दोनो गांवों की सरहद पर भूमि के ओवरलेप का कथन किया हैं जबकि इस सम्बन्ध में पूर्व की कोई पैमाईश अथवा साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह साबित हों कि मुतनाजा भूमि ओवरलेप में आती हैं। इसके अलावा अपीलांट ने मुतनाजा भूमि पर अपने कब्जा व अधिपत्य के सम्बन्ध मे कोई स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सुनवाई में वह स्वंय उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। जब स्वंय अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तो उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण में ठोस साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर